

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2009 सत्र

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2009

तारांकित प्रश्नोत्तर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा ट्रांसफार्मर क्रय में अनियमितता

1. (*क्र. 84) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में 15-6-2009 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किन-किन कंपनियों से कितने-कितने विद्युत ट्रांसफार्मर खरीदे गये हैं ? कंपनियों के नाम सहित विस्तृत जानकारी देवें ? (ख) खरीदी किए गए विद्युत ट्रांसफार्मर में से कितने विद्युत ट्रांसफार्मर घटिया एवं निम्न गुणवत्ता के थे ? उक्त निम्न गुणवत्ता के विद्युत ट्रांसफार्मर किन-किन कंपनियों से खरीदे गये थे ? (ग) क्या घटिया व निम्न गुणवत्ता के विद्युत ट्रांसफार्मर खरीदी के लिये किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है ? यदि हां, तो उस अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब एवं नहीं तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) तत्कालीन छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल व वर्तमान में छ. रा. वि. वि. कं. मर्या. एवं छ. रा. वि. पारे. कं. मर्या. द्वारा वर्ष 2008-09 में 13992 नग ट्रांसफार्मर व वर्ष 2009-10 में 15-6-09 तक 3175 नग ट्रांसफार्मर के क्रय हेतु आदेश जारी किये गये जिसमें से विभिन्न फर्मों द्वारा 10742 ट्रांसफार्मर का प्रदाय हुआ. कंपनीवार विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है. (ख) खरीदे गये ट्रांसफार्मरों में से गुणवत्ता के परीक्षण हेतु चयनित ट्रांसफार्मरों में से 102 ट्रांसफार्मर परीक्षण में मानक स्तर के नहीं पाये गये. उक्त ट्रांसफार्मर प्रदाय करने वाली फर्मों का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है. (ग) तत्कालीन मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) को प्रारंभिक जांच में ट्रांसफार्मर खरीदी में पायी अनियमितता के कारण दिनांक 02-07-09 को निलंबित कर दिया गया है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत मछुआरा समिति की जानकारी

2. (*क्र. 115) श्री रुद्र कुमार गुरु : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 जून, 2009 की स्थिति में कितनी मछुआरा समिति का पंजीयन किया गया ? (ख) कंडिका "क" की समितियों को कौन-कौन से कार्य दिए गए हैं ? (ग) क्या यह सही है कि पंजीकृत मछुआरा समिति को शासन के द्वारा अनुदान देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना ?

कृषि मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 जून, 2009 की स्थिति में कुल 23 मछुआरा समितियों का पंजीयन हुआ है, जिसकी सूची †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) कंडिका "क" के अनुसार कुल 23 पंजीकृत सहकारी समितियों में से 19 समितियों को कुल 42 तालाब/जलाशय, जलक्षेत्र 529.503 हेक्टेयर मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर संबंधित त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा दिया गया है. आवंटित तालाब/जलाशयों की सूची †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) जी हां. पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को दिए जाने वाली अनुदान की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" पर है.

बोरई औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले उद्योगों से संबंधित

3. (*क्र. 111) श्रीमती प्रतिभा चन्द्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने उद्योग स्थापित हैं ? (ख) स्थापित उद्योगों में कितने उद्योग प्रदूषण उत्सर्जित उद्योग की श्रेणी में आते हैं ? कृपया नाम सहित जानकारी देवें. (ग) क्या सभी उद्योगों में प्रदूषण निवारण मंडल के मापदण्ड के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरण लगाए गए हैं ? (घ) किन-किन उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरण नहीं लगाए गए हैं ? उद्योगों का नाम बताएं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले के बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र में कुल 68 उद्योग स्थापित हैं। (ख) स्थापित उद्योगों में से 11 प्रदूषण उत्सर्जित उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जिनके नाम † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित हैं। (ग) जो हां, प्रदूषण उत्सर्जित उद्योगों की श्रेणी में आने वाले उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण मंडल के मापदण्ड के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरण लगाये गये हैं। (घ) प्रदूषण उत्सर्जित उद्योगों की श्रेणी के आने वाले उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरण लगाये गये हैं, उपकरण नहीं लगाने वाले उद्योगों की संख्या निरंक है।

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों तथा मजराटोलों का विद्युतीकरण

4. (*क्र. 159) श्री भोलाराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्रामों का "मजराटोला योजना" में एवं "राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजना" में विद्युतीकरण किया गया है ? (ख) उक्त वर्षों में कौन-कौन से ग्रामों में नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया गया है एवं कौन-कौन से ग्रामों में नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में मजरा/टोला विद्युतीकरण लक्ष्य के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के कुल 91 ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उक्त अवधि में किसी ग्राम में विद्युतीकरण नहीं किया गया है। (ख) प्रस्तावित अवधि में खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के 61 ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं एवं 28 ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया प्रस्तावित है। इन ग्रामों के नाम †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

ओपन एक्सेस के तहत विद्युत विक्रय की अनुमति तथा उत्पादकों से क्रय विद्युत

5. (*क्र. 205) श्री रविन्द्र चौबे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में 30-06-09 तक राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निजी एवं अन्य विद्युत उत्पादकों से कुल कितनी बिजली खरीदी गई ? माहवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त वर्षों में कुल कितनी ईकाईयों को ओपन एक्सेस के तहत कुल कितनी बिजली बेचने की अनुमति दी गयी ? माहवार एवं ईकाईवार जानकारी देवें ? (ग) मेसर्स आर. आर. एनजी, रायगढ़ को ओपन एक्सेस के तहत कब-कब बिजली बेचने की अनुमति दी गयी ? (घ) उक्त ईकाई द्वारा अपरांपरागत ऊर्जा उत्पादक से कोल आधारित उत्पादन संयंत्र में परिवर्तन हेतु कब आवेदन दिया गया तथा कब परिवर्तित करने का आदेश दिया गया ? 30-06-09 तक कुल कितनी सविस्त्री दी गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" में ‡ संलग्न है। (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" में ‡ संलग्न है। (ग) मेसर्स आर. आर. एनजी लिमिटेड, रायगढ़ को ओपन एक्सेस के तहत 13.5 मेगावाट बिजली बेचने की अनुमति दिनांक 02-11-2008 से 31-03-2009 तक, दिनांक 01-04-2009 से 30-06-2009 तक तथा दिनांक 01-07-2009 से 30-09-2009 तक दी गई। (घ) प्रश्नांश-ग में सम्मिलित विद्युत उत्पादक ने बायोमास की उपलब्धता में कठिनाई के कारण संयंत्र में प्रयुक्त कोयले की मात्रा को निर्धारित 25 प्रतिशत से अधिक उपयोग कर संचालित करने की सूचना क्रेडा को पत्र दिनांक 13-10-08 द्वारा दी है इस सूचना के उत्तर में संयंत्र के स्वरूप में परिवर्तन बाबत कोई आदेश नहीं दिया गया। दिनांक 30-06-2009 तक नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रुपये 1.10 करोड़ की सविस्त्री सीधे कंपनी को दी गई है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा जिंक सल्फेट खाद खरीदी में अनियमितता

6. (*क्र. 270) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2008 से लेकर मई, 2009 की अवधि में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग द्वारा जिंक सल्फेट खाद की खरीदी की गई है ? यदि हां, तो किस खाद निर्माता कंपनी से कितनी राशि की खाद का क्रय किया गया है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्न "क" में पूछे गये एवं क्रय किये गये खाद का स्तर अमानक है एवं आपूर्ति प्राप्त करने के पूर्व विभाग द्वारा खाद के स्तर का परीक्षण नहीं किया गया एवं सीधे आपूर्ति प्राप्त कर ली गई है तथा आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान कर दिया गया है ? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रदेश में उद्यानिकी विकास के लिए वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में केन्द्र शासन द्वारा विभाग को राशि प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु प्रदान की गई है ? मदवार विवरण दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जी हां, प्रश्नाधीन अवधि में उद्यानिकी संचालनालय द्वारा छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ

मर्यादित के माध्यम से निम्नलिखित उर्वरक प्रदायकों से उसके समस्त दर्शायी गई मात्रा एवं राशि के बिलक मन्फेट क्रय किया गया है :-

क्र.	प्रदायक का नाम	मात्रा (मे. टन)	राशि रुपये
1.	ओम केमिकल्स इंडस्ट्रीज	4.500	1,50,165.00
2.	सुहाने एगो इ. प्रा. लिमि	632.460	2,11,05,190.20
योग		636.960	2,12,55,355.20

(ख) प्रश्नांश 'क' के प्रतिद्वन्द्व दर्शायी गई मात्रा में से मात्रा 42.50 मे. टन बिलक मन्फेट विश्लेषण में अपमानक पाया गया, विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में है. विपणन संघ के द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने के पूर्व खाद के स्तर का परीक्षण नहीं किया जाता, अर्थात् आपूर्ति होने के पश्चात ही प्राप्त उर्वरक के स्केच से नमूने लेकर नमूने विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे जाते हैं. आपूर्तिकर्ता फर्म में मेसर्स सुहाने एगो इ. प्रा. लिमि रायपुर को 350.760 मे. टन राशि रुपये 96,98,707.20 का भुगतान किया गया है एवं मेसर्स ओम केमिकल्स इंडस्ट्रीज, रायपुर को मात्रा 4.500 मे. टन राशि रुपये 14,740.00 का भुगतान किया गया है. शेष भुगतान रोकवा गया है. (ग) यह सत्य है कि प्रदेश में उद्योगिकी विकास के लिए वर्ष 2008-2009 में केन्द्र सरकार द्वारा निम्नानुसार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि प्रदाय की गई :-

1.	राष्ट्रीय आगवानी मिशन	3000.00 लाख
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1977.06 लाख
3.	कुल राशि रु.	4977.06 लाख

वित्तीय वर्ष 2009-10 में केन्द्र सरकार द्वारा विभाग को कोई भी राशि नहीं प्रदाय की गई है. स्वीकृत की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' में है.

राज्य में सीमेंट संयंत्रों को चूना पत्थर खनन हेतु आर्धदित जमीन

7. (*क्र. 2) श्री सीरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने सीमेंट संयंत्रों को कितनी जमीन, चूना पत्थर खनन का सीमेंट बनाने के लिए दी गयी है ? (ख) इनमें से कितने संयंत्र क्लिंकर बनाकर बेच रहे हैं ? (ग) किन संयंत्रों का क्लिंकर प्रदेश से बाहर जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) से (ग) जानकारी न संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

मे. आर. आर. एनर्जी को विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की अनुमति

8. (*क्र. 231) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मे. आर. आर. एनर्जी को चावल भूसी आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की अनुमति कब प्रदान की गई थी ? उक्त इकाई को इस हेतु क्या-क्या छूट/लाभ प्रदान किए गए थे ? (ख) इकाई द्वारा राज्य विद्युत मण्डल से हुए विद्युत क्रय अनुबंध में क्या अनुबंध निरस्त करने का प्रारंभ भी था ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में विद्युत क्रय अनुबंध निरस्त किया गया ? अनुबंध निरस्त किए जाने से राज्य विद्युत मण्डल को कितनी राशि की क्षति हुई है ? इस क्षति हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) उक्त इकाई द्वारा 30-6-2009 तक की स्थिति में कितनी यूनिट विद्युत का निरुपय किया जा चुका है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) मे. आर. आर. एनर्जी लिमिटेड को चावल भूसी आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु उत्तीर्ण गुरु राज्य अथवा ऊर्जा विकास अभिकरण (केडा) द्वारा दिनांक 19-1-2005 को अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था. उक्त इकाई को केन्द्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा रुपये 1.10 करोड़ का पूंजीगत अनुदान दिया गया. इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा क्रय किये जाने वाले संयंत्रों पर कस्टम ड्यूटी से छूट देने की अनुशंसा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार को केडा के माध्यम से अधेधित की गई थी. (ख) जी नहीं. मे. आर. आर. एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़ में बायोगास के उपलब्धता में कठिनाई के कारण संयंत्र में प्रयुक्त कोयले की मात्रा को निर्धारित 25 प्रतिशत से अधिक उपयोग कर संभारित करने की सूचना पत्र दिनांक 13-10-2008 को दी. उक्त

पत्र के आधार पर तत्कालीन विद्युत मण्डल द्वारा पूर्व में बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र से विद्युत क्रय हेतु सम्पादित विद्युत क्रय अनुबंध दिनांक 14-10-06 को निरस्त करने की अनुमति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से प्राप्त कर उक्त अनुबंध को निरस्त किया गया। अनुबंध के निरस्त होने के कारण ओपन एक्सेस के तहत विद्युत उत्पादन संयंत्र से उत्पादित विद्युत का विक्रय Peak hour (पीकआवर्स) की अवधि को छोड़कर अन्य अवधि में किया गया है। उक्त अवधि में विद्युत की मांग व आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन होने के कारण राज्य को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। अतः क्षति न होने के कारण किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में उक्त इकाई द्वारा कुल 73.82 मिलियन यूनिट विद्युत का विक्रय किया जा चुका है।

दुर्ग जिले में कृषकों को फसल बीमा का लाभ

9. (*क्र. 266) श्री ताप्रध्वज साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के अकालप्रस्त विकासखण्डों के कितने कृषकों को वर्ष 08-09 में फसल बीमा का लाभ दिया गया है ? (ख) फसल बीमा की कितनी-कितनी राशि कितने कृषकों को दी गयी ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) दुर्ग जिले में खरीफ वर्ष 2008-09 में 7 तहसील (विकासखण्ड) क्रमशः बेमेतरा, साजा, डौंडीलोहारा, धमधा, गुंडरदेही, बेरला एवं पाटन के कुल 1,01,620 कृषकों को खरीफ वर्ष 2008-09 में फसल बीमा का लाभ दिया गया है। (ख) फसल बीमा अंतर्गत राशि रु. 28,70,61,834.00 (अट्ठाईस करोड़ सत्तर लाख इकसठ हजार आठ सौ चौतीस रुपये मात्र) 1,01,620 कृषकों के खाते में देय दावा राशि के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है।

रायगढ़ जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की स्थिति

10. (*क्र. 363) श्री नंदकुमार पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में 30-06-09 की स्थिति में कितने ग्राम एवं मजरा टोला/मुहल्ला में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? (ख) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कितने ग्रामों, टोलों/मुहल्लों को वर्ष 2008-09 में सघन विद्युतीकरण प्रस्तावित किया गया था ? कितना कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितना अपूर्ण है ? अपूर्ण का कारण क्या है एवं कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 34 ग्राम (जिसमें 02 डीइलेक्ट्रिफाईड ग्राम शामिल हैं) एवं 254 मजरे/टोलों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 1397 ग्राम एवं 682 मजरे/टोले सघन विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं। इनमें से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य निष्पादन हेतु अधिकृत संस्था एन. टी. पी. सी. द्वारा ग्रामों के स्थल सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के तहत योजना में शामिल सभी ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य मार्च 2010 तक पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

राज्य आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज मामलों की जानकारी

11. (*क्र. 44) डॉ. हरिदास भारद्वाज : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 01 जनवरी, 2009 से 31 मई, 2009 तक छत्तीसगढ़ शासन के कितने अधिकारियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया ? नाम एवं पदनाम सहित बतायें ? (ख) कितने मामलों की जांच पूरी हो गई एवं कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जिन अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध मामले पंजीबद्ध किये गये उनके संबंध में जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है सभी प्रकरणों में विवेचना जारी होने के कारण प्रकरण लंबित है। (ग) विवेचना पूर्ण होने पर जो दोषी पाये जायेंगे उनके दायित्व का निर्धारण कर, कार्यवाही की जावेगी।

एन. जी. ओ. को अनुदान दिये जाने संबंधी केन्द्र शासन को अनुशंसा

12. (*क्र. 101) श्री देवजी भाई पटेल : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की ओर से वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में किन-किन एन. जी. ओ. को विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु अनुदान दिए जाने की अनुशंसा केन्द्र शासन को की गई है ? (ख) कंठिका "क" में से कितने को कार्य स्वीकृति मिली और किन जिलों में ? (ग) कंठिका "क" की योजनाओं पर क्या राज्य शासन ने मानिटरिंग की है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा यदि नहीं, तो क्यों ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 पर है. (ग) जी हां. राज्य स्तरीय अनुसूच्य समिति गठित है एवं स्थानीय परिवेचना अनुसूच्य समिति व जिला स्तरीय आदिवासी विकास अनुसूच्य समिति गठन करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये गये हैं. जिला कलेक्टरों एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं संबंधित विभागीय जिला अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की मानिटरिंग की जाती है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिले में बोर खनन एवं हैण्डपंप स्थापना

13. (*क्र. 164) डॉ. शक्राजीत नायक : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले के रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला वि. खं. में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण कौन-कौन से गांव में कितने-कितने हैण्डपंप 2009-10 के अप्रैल, मई एवं जून माह में बंद हो गये ? कौन-कौन से प्रभावित ग्रामों एवं मजराटोलों में कहां-कहां पर नये बोर खनन कर हैण्डपंप स्थापना तथा पुराने एवं नये छोदे गये बोर में कहां-कहां पर पम्प स्थापना किया गया ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : रायगढ़ जिले के रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला वि. खं. में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण वर्ष 2009-10 के अप्रैल, मई एवं जून माह में कुल 257 गांवों में 1050 हैण्डपंप बंद हो गए, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1अ", "1ब" एवं "1स" अनुसार. जलस्तर से प्रभावित ग्रामों/बसाहटों में वर्ष 2009-10 में 44 ग्रामों के 52 मजराटोलों में कुल 58 नलकूप खनन किये गये जिनमें से 50 नलकूप सफल हुए. इन सफल नलकूपों में से 22 सफल नलकूपों में हैण्डपंप तथा 28 नलकूपों में पावरपंप स्थापित किए गये एवं जलस्तर प्रभावित 67 पुराने ग्रामों के 75 नलकूपों पर भी पावर पम्प स्थापित किये गये. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2अ" एवं "2ब" अनुसार.

बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड के ग्रामों का राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वे

14. (*क्र. 40) डॉ. शिवकुमार डहरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड जिला रायपुर के कितने ग्रामों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है ? (ख) प्रस्तात "क" से संबंधित सर्वे अनुसार बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड के ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा ? समय-सीमा बतायें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिला रायपुर के बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड में क्रमशः 188 एवं 173 ग्रामों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है. (ख) उक्त योजना के तहत योजना में शामिल सभी ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य मई 2010 तक पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है.

विकासखण्ड भाटापारा तथा सिमगा में किसान समृद्धि योजनांतर्गत कृषकों को अनुदान शेष का भुगतान

15. (*क्र. 92) श्री चैतराम साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में किसान समृद्धि योजनांतर्गत विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा में पंजीकृत प्रकरणों के अनुदान शेष का भुगतान कृषकों को कब-कब किया गया ? (ख) कितने कृषकों का भुगतान किस स्तर पर लंबित है एवं भुगतान की कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा में किसान समृद्धि योजनांतर्गत क्रमशः 296 एवं 522 कुल 818 प्रकरण पंजीकृत किये गये, जिसमें से दिनांक 09-07-09 तक 585 नलकूपों के खनन अनुदान एवं 140 पंप प्रतिष्ठापन पर देय अनुदान की मांग कृषकों से प्राप्त हुई. उक्त सभी कृषकों को अनुदान भुगतान किया जा चुका है. (ख) अनुदान भुगतान हेतु कोई प्रकरण कार्यालय में लंबित नहीं है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में उच्च दाब पानी टंकी का निर्माण

16. (*क्र. 250) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में नलजल योजना के अंतर्गत उच्च दाब पानी टंकी का निर्माण पूर्ण किया गया है ? विकासखण्डवार, ग्राम के नाम सहित बतायें ? (ख) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में उच्च दाब पानी टंकी का निर्माण प्रस्तावित है ? विकासखण्डवार नाम सहित बतायें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के 12 ग्रामों में नलजल योजना के अंतर्गत 12 उच्चस्तरीय पानी टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के 33 ग्रामों की स्वीकृत योजनाओं के तहत 33 उच्चस्तरीय पानी टंकी का निर्माण प्रस्तावित है। विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार।

वर्ष 2007-08 में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रदत्त राशि

17. (*क्र. 278) **श्री रविशंकर त्रिपाठी** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 में योजना क्रमांक S169 मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत सरगुजा जिले को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई थी ? (ख) उक्त वित्तिय वर्ष में योजना की कुल कितनी राशि समर्पित की गई थी ? (ग) क्या योजना क्रमांक S169 के समर्पित राशि का पुनः आवंटन कलेक्टर सरगुजा को प्राप्त हुआ है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2007-08 में योजना क्रमांक S169 मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत सरगुजा जिले को कुल राशि रु. 23,03,59,000 (तेईस करोड़ तीन लाख उन्सठ हजार मात्र) का आवंटन प्राप्त हुआ था। (ख) वित्तिय वर्ष 2007-08 में कुल राशि रु. 3,09,59,370 (तीन करोड़ नौ लाख उन्सठ हजार तीन सौ सत्तर मात्र) समर्पित की गई थी। (ग) जो नहीं।

आरंग विकासखण्ड के मजराटोलों का विद्युतीकरण तथा लो वोल्टेज समस्या का निराकरण

18. (*क्र. 110) **श्री रुद्र कुमार गुरू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विकासखण्ड में वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 में कितने ग्रामों के मजराटोलों का विद्युतीकरण किया गया ? कितने ग्रामों के कितने मजराटोला विद्युतीकरण हैं ? (ख) आरंग एवं मंदिर हरौद विकासखण्ड के कितने ग्रामों में लो वोल्टेज की शिकायत है ? नाम सहित बतायें ? (ग) लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 में आरंग विकासखण्ड के कुल 47 ग्रामों के 47 मजरो-टोलों का विद्युतीकरण किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अनुसार वर्तमान में 159 ग्रामों के 159 मजरो/टोले/रिहायशी क्षेत्र विद्युत विहीन हैं। (ख) आरंग विकासखण्ड के तीन ग्रामों यथा मोखला, भीरा एवं शेजा में लो वोल्टेज की जानकारी प्राप्त हुई है। मंदिर हरौद नाम से कोई विकासखण्ड नहीं है। (ग) उक्त ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु कार्यदेश जारी किये जा चुके हैं। जिनके कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा ट्रांसफार्मर क्रय में अनियमितता पर कार्यवाही

19. (*क्र. 271) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07, 07-08 एवम् 08-09 में सी. एस. ई. बी. द्वारा कितने ट्रांसफार्मरों का क्रय कौन-कौन सी फर्मों से किया गया है ? फर्मवार संख्या दें ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्न "क" में पूछे गये ट्रांसफार्मर की खरीदी में आपूर्तिकर्ता फर्मों के द्वारा घटिया ट्रांसफार्मर की सप्लाय की गई है जिसके कारण अधिकांश ट्रांसफार्मर जल गये ? यदि हां, तो क्या विभाग ने घटिया ट्रांसफार्मर आपूर्ति की जांच कराई है ? और यदि जांच कराई है तो क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 24171 ट्रांसफार्मरों के क्रय आदेश दिये गये एवं विभिन्न 24 फर्मों के द्वारा 20431 नग प्रदाय किये गए हैं। वर्षवार व फर्मवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है। (ख) खरीदे गये ट्रांसफार्मरों में से गुणवत्ता के परीक्षण हेतु चयनित सेम्पल ट्रांसफार्मरों में से 102 ट्रांसफार्मर, परीक्षण में मानक स्तर के नहीं पाये गये। इन 102 ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु संबंधित फर्मों को सूचित किया गया है, साथ ही साथ कंपनियों को रुपये 1000 प्रति ट्रांसफार्मर की दर से दण्ड अधिरोपित किया जाकर आगामी निविदा में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि में ट्रांसफार्मर जलने की सूचना नहीं है, लेकिन वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 (दिनांक 30-06-2009 तक) में 3327 ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में विफल होने के कारण संबंधित फर्म द्वारा बदलने की कार्यवाही की गयी है। तत्कालीन मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) को प्रारंभिक जांच में खरीदी में पायी अनियमितता के कारण दिनांक 02-07-2009 को निलंबित कर दिया गया है।

विद्युत ट्रांसफार्मर की खरीदी की जानकारी

20 (*क्र. 267) श्री तापस्वज साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 08-09 एवम् 09-10 में 30-06-2009 तक मंडल द्वारा कितने ट्रांसफार्मर की खरीदी की गयी है ? (ख) कितने ट्रांसफार्मर मानक स्तर पर खराब पाये गये हैं ? इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल व वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में 30-06-09 तक क्रमशः 13992 नग व 3175 नग ट्रांसफार्मरों की खरीदी हेतु क्रय आदेश दिए गए जिनके विरुद्ध 10742 नग ट्रांसफार्मरों का प्रदाय हुआ। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित ट्रांसफार्मरों में से गुणवत्ता के परीक्षण हेतु चयनित ट्रांसफार्मरों में से 102 ट्रांसफार्मर परीक्षण में मानक स्तर से कम स्तर के पाये गये। संबंधित फर्मों को ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए आदेश दिये गये हैं। संबंधित फर्मों पर प्रति खराब ट्रांसफार्मर एक हजार रुपये की दर से आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है एवं आगामी निविदा में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तत्कालीन मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) को प्रारंभिक जांच में ट्रांसफार्मर खरीदी में पायी अनियमितता के कारण दिनांक 02-07-09 को निलंबित कर दिया गया है।

विकासखण्ड कसडोल, पलारी तथा बलीदाबाजार के ग्रामों में हैण्डपंप की स्थापना

21 (*क्र. 85) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 में दिनांक 15-06-2009 की स्थिति में विकासखण्ड कसडोल, विकासखण्ड बलीदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन एवं विकासखण्ड-पलारी में कितने हैण्डपंप बंद थे ? कितने मरम्मत के योग्य हैं ? कितने अयोग्य हो गए हैं ? (ख) वर्ष 2009-10 में दिनांक 15-06-2009 तक उक्त विकासखण्डों में कहां-कहां, कितने-कितने हैण्डपंप कब-कब लगाये गये हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार करवप) : (क) वर्ष 2009-10 में दिनांक 15-06-2009 की स्थिति में विकासखण्ड कसडोल, विकासखण्ड बलीदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन एवं विकासखण्ड-पलारी में 459 हैण्डपंप बंद थे, जिनमें से 17 हैण्डपंप मरम्मत के योग्य एवं 442 हैण्डपंप जलस्तर नीचे चले जाने से बंद हो गये हैं। (ख) उक्त अवधि में दिनांक 19-05-2009 को ग्राम देवरुंग व ग्राम दूमरपाली विकासखण्ड कसडोल में एक-एक हैण्डपंप, दिनांक 1-6-2009 को ग्राम गिरा विकासखण्ड पलारी में एक हैण्डपंप, दिनांक 12-06-2009 को ग्राम तुरमा विकासखण्ड बलीदाबाजार में एक हैण्डपंप लगाया गया है।

सिंचाई सुविधा हेतु स्थाई/अस्थायी विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति

22 (*क्र. 364) श्री नंदकुमार पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र खरसिया अंतर्गत 2007-08, 2008-09 से प्रश्नांकित अवधि तक विभिन्न सिंचाई सुविधा प्राप्त करने हेतु विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन पत्र पंजीकृत किए गये हैं ? (ख) पंजीकृत आवेदनों में कितने अस्थायी/स्थायी विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति हुई ? अस्थायी कनेक्शन हेतु कितनी राशि ली जाती है ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित होने का कारण क्या है और कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र खरसिया के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 से दिनांक 30-06-09 तक सिंचाई हेतु स्थायी/अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन के लिये कुल 813 आवेदन पंजीकृत किये गये हैं। (ख) पंजीकृत आवेदनों में से 807 स्थायी/अस्थायी कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं। अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जाता है। तथापि 5 अश्व शक्ति

तक अस्थायी पम्प कनेक्शन के लिए कनेक्शन संयोजन/विच्छेदन हेतु रु. 150/- रु. 1.50 प्रति युनिट की दर से ऊर्जा प्रभार, रु. 0.05 प्रति युनिट की दर से उपकर, पायलेट लैम्प के विद्युत खपत पर विद्युत शुल्क रु. 0.84 प्रति माह, रु. 30/- प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की दर से स्थायी प्रभार एवं मोटर किराया रु. 25/- प्रति माह की दर से स्वीकृत अवधि के लिए कुल आंकलित राशि, आवेदकों से अग्रिम रूप में ली जाती है. (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित आवेदनों में से दिनांक 30-06-09 की स्थिति में स्थायी विद्युत कनेक्शन के कुल 366 आवेदन लंबित हैं जिनमें से औपचारिकता पूर्ण 218 आवेदन विद्युत लाईन विस्तार हेतु, 142 आवेदन औपचारिकता पूर्ण करने हेतु एवं हाल ही में प्राप्त 06 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं. इनमें से 218 आवेदनों के कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं. 142 आवेदनों से संबंधित कृषकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं 06 आवेदनों की स्वीकृति उपरांत कृषकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने पर उनके पंप कनेक्शनों के कार्य किये जा सकेंगे जिसके लिए निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना अंतर्गत विद्युत कनेक्शनों का प्रदाय

23. (*क्र. 45) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना अंतर्गत सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में 31 मई, 2009 की स्थिति में कितने कृषकों को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया ? (ख) 01 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक उक्त योजना अंतर्गत कितने किसानों ने स्थायी कनेक्शन के लिये आवेदन किये, कितने को कनेक्शन दिया गया तथा कितने प्रकरण लंबित है ? (ग) लंबित प्रकरण में कब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में 31 मई 2009 की स्थिति में कुल 18 कृषकों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है. (ख) 01 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 तक उक्त योजनांतर्गत 38 कृषकों ने स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन दिये, जिनमें से 18 कृषकों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया तथा 20 कनेक्शन लंबित है. (ग) उक्त लंबित प्रकरणों में हितप्राहियों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी. अतः समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

उद्योग स्थापना में स्टाम्प शुल्क की छूट

24. (*क्र. 102) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्योग विभाग द्वारा ग्राम सांकरा तहसील सिमगा एवं जिला रायपुर में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि क्रय में स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है ? यदि हां, तो कितने और किन उद्योगों को ? नाम सहित बतावें ? (ख) कण्डिका "क" की कितनी औद्योगिक इकाईयों के खिलाफ स्टाम्प शुल्क में छूट के प्रमाण-पत्र का बेजा इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? नाम सहित ब्यौरा दें ? (ग) कण्डिका "क" की छूट (स्टाम्प शुल्क) का लाभ भूमि क्रय में निर्धारित गांव से अन्यत्र गांव में लिए जाने पर दण्ड के क्या प्रावधान है ? प्रावधान के तहत किन-किन उद्योग इकाई के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) उद्योग विभाग द्वारा ग्राम-सांकरा तहसील-तिल्दा एवं जिला रायपुर में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि क्रय बाबत स्टाम्प शुल्क की छूट देने हेतु स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं. ग्राम सांकरा तह. सिमगा में किसी उद्योग को स्टाम्प शुल्क की छूट नहीं दी गई है. ग्राम-सांकरा, तह. तिल्दा में 02 औद्योगिक इकाईयों को एवं रोप रायपुर जिले में 278 औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं. जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे क्रमशः परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर है. (ख) कंडिका "क" के संदर्भ में विभाग को एक औद्योगिक इकाई के विरुद्ध स्टाम्प शुल्क में छूट के प्रमाण-पत्र का बेजा इस्तेमाल किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई नाम सहित ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1. श्रीमती शशिप्रभा जिंदल, डायरेक्टर, गारंटर, शेयर होल्डर, मे. मैग्मम स्टील्स लि. नई दिल्ली द्वारा श्री ईश्वर चन्द्र जिन्दल, संचालक, मैग्मम स्टील्स लि. के विरुद्ध शिकायत की गई थी, जिसमें भूमि का क्रय औद्योगिक इकाई के नाम के स्थान पर श्री ईश्वर चन्द्र जिन्दल के नाम पर किया जाना बताया गया था.
2. उपरोक्त शिकायत उद्योग संचालनालय द्वारा जारी मे. मैग्मम स्टील्स लि. के पक्ष में ग्राम- परसदा एवं मेडेसरा तहसील धमधा, जिला दुर्ग में क्रय की जाने वाली कुल 49.110 हे. भूमि के सम्बन्ध में थी.

(ग) कंडिका "क" की छूट के संदर्भ में स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ लेने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा भूमि के क्रय में निर्धारित गांव से अन्यत्र गांव में लिए जाने पर दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है. अपितु स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निर्धारित शर्तें राज्य के मूल

निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार प्रदान करना, निर्धारित अवधि के भीतर उद्योग प्रारंभ करना, भूमि का पूर्ण उपयोग, औद्योगिक प्रयोजन हेतु करना, एवं उद्योग स्थापनार्थ शासन/स्थानीय निकायों के नियमों का पूर्ण पालन करना से संबंधित शर्तों का पालन न करने पर स्टाम्प शुल्क से छूट के सम्बन्ध में दी गई रियायत के समतुल्य राशि एवं छूट दिनांक से 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वसूली का प्रावधान है. उपरोक्त प्रावधानों के तहत 01 औद्योगिक इकाई के विरुद्ध प्राप्त शिकायत (निर्धारित गांव से अन्यत्र गांव में लिए जाने पर) में पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है

विकासखण्ड भाटापारा तथा सिमगा में संचालित क्रेशरों को प्रदत्त लीज

25. (*क्र. 93) श्री चैतराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा क्षेत्र में कुल कितने क्रेशर संचालित हैं ? नाम, क्षेत्र एवं रकबा सहित जानकारी देवें तथा यह भी बतावें कि उन्हें कितनी ममयावधि के लिये लीज दी गई है ? (ख) क्या क्रेशर संचालकों के द्वारा पर्यावरण एवं विस्फोटक की अनुमति प्राप्त की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायपुर जिले के विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा क्षेत्र में 41 क्रेशर स्थापित है, जिसमें से 33 क्रेशर मालिकों को चूनापत्थर का उत्खनिपट्टा स्वीकृत है. विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. 08 क्रेशर मालिकों को पट्टा स्वीकृत नहीं है. विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है. (ख) क्रेशर संचालकों द्वारा पर्यावरण सम्मति की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" के कॉलम "सात" पर एवं † संलग्न प्रपत्र "ब" के कॉलम "चार" पर दर्शित है. क्रेशर संचालन हेतु विस्फोटक की आवश्यकता नहीं होती है, अतएव क्रेशर संचालकों द्वारा विस्फोटक की अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 84) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में 15-06-2009 तक ट्रांसफार्मर की खरीदी हेतु जारी क्रयादेशों की जानकारी.

क्रमांक	फर्म का नाम मेसर्स	टेंडर क्रमांक/ आदेश क्रमांक/ दिनांक	ट्रांसफार्मर की क्षमता	आदेशित ट्रांसफार्मरों की संख्या	दिनांक 15-06-2009 तक आपूर्ति किए गए ट्रांसफार्मरों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) वर्ष 2008-09 में क्रय आदेशों का विवरण					
1.	विजय इलेक्ट्रीकल्स लि., हैदराबाद	198/1573/ 15-4-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	100	100
			11/3.4 के. व्ही. 10C के. व्ही. ए.	600	600
			11/0.4 के. व्ही. 200 के. व्ही. ए.	300	300
			योग	1000	1000
2.	आर्या इलेक्ट्रीकल्स, रायपुर	189/1577/ 8-5-08	11/3.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	428	428
			विस्तार आदेश 11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	264	264
		215/1625/ 25-8-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	335	335
			11/0.4 के. व्ही. 10C के. व्ही. ए.	175	175
		215/1678/ 06-10-08	11/3.4 के. व्ही. 315 के. व्ही. ए.	22	22
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	37
230/1669/ 30-9-08	11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	19	19		
	11/3.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए. 3 स्टार	150	0		
योग			1430	1280	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3.	श्री इंजीनियर्स, कोरबा	189/1578/ 8-5-08 विस्तार आदेश	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	427	427	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	264	264	
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	335	335	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	175	175	
		215/1629/ 25-8-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	335	335	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	175	175	
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	37	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	19	19	
		215/1675/ 6-10-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	37	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	19	19	
			योग		1257	1257
4.	आर. बी. एस. ट्रान्सफार्मर्स एंड स्विचगियर्स प्रा. लि., रायपुर.	189/1579/ 8-05-08 विस्तार आदेश	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	427	427	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	264	264	
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	335	335	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	175	0	
		215/1628/ 25-8-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	335	335	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	175	0	
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	19	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	19	10	
		215/1676/ 06-10-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	19	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	19	10	
			योग		1257	1055
5.	टेकमंग ट्रान्सफार्मर्स (इंडिया) प्रा. लि., रायपुर.	189/1580/ 8-5-08 विस्तार आदेश	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	428	428	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	264	264	
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	335	335	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	175	175	
		215/1627/ 25-8-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	335	335	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	175	175	
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	37	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	19	19	
		215/1674/ 06-10-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	37	
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	19	19	
			योग		1258	1258

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	सोमानी इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि., रायपुर.	189/1581/ 8-5-08 विस्तार आदेश	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	428	428
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	264	264
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	502	502
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	175	175
		215/1626/ 25-8-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	502	502
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	175	175
			11/0.4 के. व्ही. 315 के. व्ही. ए.	15	15
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	56	56
		215/1677/ 6-10-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	56	56
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	19	19
			11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	150	150
			3 स्टार		
		योग	1609	1609	
7.	ईस्ट इंडिया उद्योग लि., गाजियाबाद.	189/1582/ 8-5-08 विस्तार आदेश	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	388	388
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	335	300
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	263	100
			11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	0
		215/1679/ 6-10-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	37	0
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	30	0
			11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	375	0
			3 स्टार		
		230/1670/ 30-9-08	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	150	150
			3 स्टार		
			योग	1609	1609
		योग	1428	788	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
8.	यूनाइटेड इलेक्ट्रीकल्स एंड इंजीनियरिंग प्रा. लि., जयपुर.	189/ 583/ 8-5-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही.ए.	374	0		
		विस्तार आदेश	11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	240	0		
		210/1616/ 5-8-08	11/0.4 के. व्ही. 16 के. व्ही. ए.	300	0		
योग				914	0		
9.	फेयाडोल ट्रान्सफार्मर्स एंड स्विचगियर्स प्रा. लि., गुना.	189/1584/ 8-5-08	11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही.ए.	240	240		
		विस्तार आदेश					
योग				240	240		
10.	फतेहपुरिया ट्रान्सफार्मर्स एंड स्विचगियर्स प्रा. लि., जयपुर	210/1615/ 5-8-08	सिंगल फेस 11/0.4 के. व्ही. 5 के. व्ही. ए.	300	0		
			सिंगल फेस 11/0.4 के. व्ही. 10 के. व्ही. ए.	300	0		
			11/0.4 के. व्ही. 16 के. व्ही. ए.	200	0		
		210/1634/ 25-8-08	सिंगल फेस 11/0.4 के. व्ही. 10 के. व्ही. ए.	200	0		
		216/1621/ 22-8-08	33/11 के. व्ही. 3.15 एम. व्ही. ए. 33/11 के. व्ही. 5 एम. व्ही. ए.	25 28	13 14		
		230/1671/ 30-09-08	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए. 3 स्टार	525	525		
		योग				1578	552

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	एलब्रान कण्डक्टर्स लिमि., मेरठ	216/1622/ 22-8-08	33/11 के. व्ही. 5 एम. व्ही. ए.	5	4
			योग	5	4
12.	डेविम प्रा. लिमि., जयपुर	216/1623/ 22-8-08	33/11 के. व्ही. 3.15 एम. व्ही. ए.	10	10
			योग	10	10
13.	केपिटल ट्रान्सफार्मर्स प्रा. लि., दिल्ली	216/1624/ 22-8-08	33/11 के. व्ही. 3.15 एम. व्ही. ए.	15	15
			33/11 के. व्ही. 5 एम. व्ही. ए.	17	17
			योग	32	32
14.	दीमा ट्रान्सफार्मर्स उद्योग, जयपुर	215/1632/ 25-8-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	838	838
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	437	337
		215/1680/ 06-10-08	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	94	94
			11/0.4 के. व्ही. 100 के. व्ही. ए.	50	0
		210/1635/ 25-8-08	सिंगल फेस 11/0.4 के. व्ही. 5 के. व्ही. ए.	200	200
			योग	1619	1469
15.	एम. एण्ड वी. स्विचगियर प्रा. लि., इन्दौर	215/1633/ 25-8-08	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	38	38
			योग	38	38
16.	लक्ष्मी ट्रान्सफार्मर्स एंड इलेक्ट्रीकल्स, आगरा	230/1666/ 30-09-08	11/0.4 के. व्ही. 315 के. व्ही. ए. 3 स्टार	150	150
			योग	150	150
17.	श्रीराम स्विचगियर्स प्रा. लि., रतलाम	230/1668/ 30-9-08	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए. 3 स्टार	150	0
			योग	150	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	एमको लि., थाणे	277/413/ 3-5-08	40 एम. व्ही. ए., 132/33 के. व्ही.	5	0
		276/972/ 13-06-08	63 एम. व्ही. ए., 132/33 के. व्ही.	3	0
		289/1663/ 11-8-08	160 एम. व्ही. ए., 220/132 के. व्ही.	1	0
		449/6-2-09	160 एम. व्ही. ए., 220/132 के. व्ही.	1	0
			योग	10	0
19.	मे. एण्डीयूल एण्ड कं., कोलकाता.	277/774/ 3-5-08	40 एम. व्ही. ए., 132/33 के. व्ही.	2	0
			योग	2	0
20.	मे. भारत विजली लि., कोलकाता.	277/बीबीएल/ 2702/05-11-08	40 एम. व्ही. ए., 132/33 के. व्ही.	2	0
		276/1093/ 25-6-08	63 एम. व्ही. ए., 132/33 के. व्ही.	1	0
			योग	3	0
21.	मे. ट्रांसफार्मर एण्ड इलेक्ट्रिकल केरला लि., केरला.	289/1348/ 17-7-08	160 एम. व्ही. ए., 220/132 के. व्ही.	2	0
		1348/447/ 6-2-09	160 एम. व्ही. ए., 220/132 के. व्ही.	2	0
			योग	4	0
			कुल योग	13992	10742

(ii) वर्ष 2009-10 में 15-6-2009 तक क्रय आदेशों का विवरण

1.	आर्या इलेक्ट्रीकल्स, रायपुर	239/1736 27-5-09	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	150	0
		189/1746/ 11-6-09	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	209	0
			योग	359	0
2.	आर. वी. एस. ट्रांसफार्मर्स एवं स्विचगियर्स प्रा. लि., रायपुर.	239/1731/ 27-05-09	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	150	0
		189/1743/ 11-6-09	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	209	0
			योग	359	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	टेकमैंग ट्रान्सफार्मर्स (इंडिया) प्रा. लि., रायपुर.	239/1732/ 27-5-09	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	150	0
		189/1742/ 11-6-09	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	209	0
			योग	359	0
4.	फेयरहोल ट्रान्सफार्मर्स एंड स्विचगियर्स प्रा. लि., गुना.	239/1734/ 27-5-09	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	150	0
			योग	150	0
5.	सोमानी इलेक्ट्रोकेल्स प्रा. लि., रायपुर.	239/1720/ 27-5-09	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	375	0
		189/1741/ 11-6-09	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	314	0
			योग	689	0
6.	श्री इन्जीनियर्स, कोरवा	239/1735/ 27-5-09	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	150	0
		189/1745/ 11-6-09	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	209	0
			योग	359	0
7.	ईस्ट इंडिया उद्योग लि., गाजियाबाद.	239/1730 27-5-09	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	150	0
			योग	150	0
8.	दीसा ट्रान्सफार्मर उद्योग, जयपुर.	189/1744/ 11-6-09	11/0.4 के. व्ही. 63 के. व्ही. ए.	525	0
			योग	525	0
9.	स्वास्तिक कॉपर प्रा. लि., जयपुर.	239/1733/ 27-5-09	11/0.4 के. व्ही. 25 के. व्ही. ए.	225	0
			योग	225	0
			कुल योग	3175	0
			महायोग	17167	10742

प्रपत्र "ब"

मानक से कम स्तर के पाये गये ट्रांसफार्मर प्रदाय करने वाले फर्मों का विवरण

1. मेसर्स आर्या इलेक्ट्रीकल्स, रायपुर.
2. मेसर्स टेकमेग ट्रांसफार्मर्स, रायपुर.
3. मेसर्स सोमानी इलेक्ट्रीकल्स, रायपुर.
4. मेसर्स आर. बी. एस. ट्रांसफार्मर्स, रायपुर.
5. मेसर्स श्री इंजीनियर्स, कोरवा.
6. मेसर्स फेयर डील ट्रांसफार्मर्स, गुना.
7. मेसर्स ईस्ट इंडिया ट्रांसफार्मर्स, उद्योग, गाजियाबाद.
8. मेसर्स दीप्ता ट्रांसफार्मर्स, जयपुर.
9. मेसर्स युनाइटेड ट्रांसफार्मर्स, बेरहमपुर.

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 115) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	विकासखंड	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	सदस्य संख्या	वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आरंग	श्री शीतला देवी मत्स्योद्योग सहकारी समिति, आरंग	2378/09-06-83	55	सामान्य
2.	आरंग	जय भोले मत्स्योद्योग सहकारी समिति, फरसदा	2266/06-06-92	35	सामान्य
3.	आरंग	जय छल्लारी मत्स्योद्योग समिति, राखी	2251/23-08-9	44	सामान्य
4.	आरंग	जय सती माँ मत्स्योद्योग सहकारी समिति, पीता	2425/14-06-99	25	सामान्य
5.	आरंग	विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी समिति, कोसरंगी	1845/30-11-63	62	सामान्य
6.	आरंग	धीवर मत्स्योद्योग सहकारी समिति, टीवा	2160/06-06-86	30	सामान्य
7.	आरंग	मत्स्योद्योग सहकारी समिति, गूलन्द	1974/28-7-87	25	सामान्य
8.	आरंग	जन जागृति मत्स्योद्योग सहकारी समिति, पारगाँव	2353/01-04-83	25	सामान्य
9.	आरंग	महामाया मत्स्योद्योग सहकारी समिति, फरफौद	2110/28-07-84	25	सामान्य
10.	आरंग	जय महामाया मत्स्य सहकारी समिति, कोरासी	2304/18-08-93	25	सामान्य
11.	आरंग	प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति, आरंग	1666/29-06-56	50	सामान्य
12.	आरंग	जय बजरंग मत्स्योद्योग सहकारी समिति, पालीद	2253/11-01-9	30	सामान्य
13.	आरंग	बजरंग मत्स्योद्योग सहकारी समिति, भंडारपुरी	3863/30-06-95	19	सामान्य
14.	आरंग	दुर्गा प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति, मंदिर हसीद	2268/03-03-92	35	सामान्य
15.	आरंग	बजरंग मत्स्य सहकारी समिति, पंढरा	2326/19-11-82	25	सामान्य
16.	आरंग	छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग सहकारी समिति, डिधारी	2269/05-03-92	25	सामान्य
17.	आरंग	जय छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग सहकारी समिति, अकोली कला	2466/08-02-02	35	सामान्य
18.	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति, नरदहा	2446/15-12-2000	34	सामान्य
19.	आरंग	शिव मत्स्य सहकारी समिति, भिलाई	2316/16-09-94	35	सामान्य
20.	आरंग	जय महामाया मत्स्य सहकारी समिति, देवर तिलदा	2317/27-09-94	25	सामान्य
21.	आरंग	जय चंडी मछुआ सहकारी समिति, खुसरंगी	2468/22-09-02	25	सामान्य
22.	आरंग	प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति, गोईदा	2500/20-10-03	27	सामान्य
23.	आरंग	जय बजरंग मत्स्योद्योग सहकारी समिति, कुरुन्द	2430/06-07-93	30	सामान्य

प्रपत्र "ब"

क्र.	वि. खं.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	सदस्य संख्या	वर्ग	पट्टे पर उपलब्ध कराये गये तालाब/जलाशय का नाम	जलक्षेत्र हेक्टर	समिति को दिये गये कार्य पट्टा अवधि दिनांक से दिनांक तक	तालाब/जलाशय कहाँ स्थित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	आरंग	श्री शीतला देवी मत्स्योद्योग सहकारी समिति	2078/09-06-83	55	सामान्य	बड़े तालाब	5.000	01-07-05 से 30-06-10 तक	आरंग
						गांव तालाब	4.250	11-05-06 से 30-06-11 तक	भिलाई
						मचीठा	2.700	09-11-06 से 30-06-11 तक	भानसोज
2.	आरंग	जय भोले मत्स्योद्योग सहकारी समिति, परसदा	2266/06-06-92	35	सामान्य	नवागांव जला.	82.120	01-07-02 से 30-06-09 तक	नवागांव
						भूतही तालाब	2.900	11-05-08 से 30-06-13 तक	परसदा
3.	आरंग	जय खल्लारी मत्स्योद्योग समिति, राखी	2251/23-08-91	44	सामान्य	राखी जलाशय	41.450	22-07-04 से 30-06-09 तक	राखी
4.	आरंग	जय सन्ती माँ मत्स्योद्योग समिति, पीता	2425/14-06-99	25	सामान्य	पीता जलाशय	36.000	11-12-07 से 30-06-12 तक	पीता
5.	आरंग	धीवर मत्स्योद्योग सहकारी समिति, रीवा	2160/06-06-86	30	सामान्य	यधवा तालाब	35.370	19-10-07 से 30-06-11 तक	रीवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.	आरंग	मत्स्योद्योग सहकारी समिति, गूल्लू	1974/28-07-87	25	सामान्य	परबंघिया ता.	2.651	18-07-06 से 30-06-11 तक	गूल्लू
						छटनी तालाब	0.500	--,,--	गूल्लू
						तेली तालाब	1.000	--,,--	गूल्लू
						बुढ़वा तालाब	2.000	--,,--	गूल्लू
						बंधवा तालाब	5.000	--,,--	गूल्लू
						गडडिया तालाब	1.750	--,,--	गूल्लू
7.	आरंग	जन जागृति मत्स्योद्योग सहकारी समिति, पारगांव	2353/01-04-83	25	सामान्य	पनखन्ती ता.	1.580	12-03-08 से 30-06-13 तक	पारगांव
						छगबुदिया ता.	0.980	--,,--	पारगांव
8.	आरंग	महामाया मत्स्योद्योग सहकारी समिति, फरफौद	2110/28-07-84	25	सामान्य	नैया तालाब	11.580	11-05-08 से 30-06-13 तक	फरफौद
						बगदेवा ता.	7.490	--,,--	फरफौद
9.	आरंग	प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति, आरंग	1666/29-06-56	50	सामान्य	जलमला ता.	11.560	15-09-08 से 14-09-13 तक	आरंग
						सरगबुदिया ता.	5.670	--,,--	आरंग
						टोनही तालाब	4.500	--,,--	आरंग
						गुदियारी ता.	6.500	--,,--	आरंग
10.	आरंग	जय बजरंग मत्स्योद्योग सहकारी समिति, पालीद	2253/11-01-91	30	सामान्य	गांव तालाब	2.800	15-07-04 से 30-06-09 तक	पालीद
						नवा तालाब	4.000	--,,--	पालीद
11.	आरंग	बजरंग मत्स्योद्योग सहकारी समिति, भंडारपुरी	3863/30-06-95	19	सामान्य	खम्हारवा	6.500	01-04-05 से 30-06-10 तक	भंडारपुरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.	आरंग	दुर्गा प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति, मंदिर हसीद.	2268/03-03-92	35	सामान्य	रामपुरही ता.	8.538	09-04-06 से 30-06-11 तक	मंदिरहसीद
						दमोवा तालाब	1.441	--,--	मंदिरहसीद
						मतही ता.	0.425	--,--	मंदिरहसीद
						सोनई ता.	2.262	--,--	मंदिरहसीद
						पचडिया ता.	1.228	--,--	मंदिरहसीद
13.	आरंग	छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग सहकारी समिति, डिपारी.	2269/05-03-92	25	सामान्य	लच्छी तालाब	8.260	02-04-06 से 30-06-09 तक	डिपारी
14.	आरंग	जय छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग सहकारी समिति, अकोली कला.	2466/08-02-02	35	सामान्य	बंधवा तालाब	7.580	15-08-07 से 30-06-12 तक	अकोली कला
						डगरी तालाब	1.520	--,--	अकोली कला
15.	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति, नरदहा	2446/15-12-2000	34	सामान्य	अम्हा तालाब	3.260	12-11-02 से 11-11-12 तक	नरदहा
						डोरुका ता.	2.210	--,--	नरदहा
						चंडी ता.	1.730	--,--	नरदहा
						सुखलाईन ता.	2.250	--,--	नरदहा
						अंधवा डबरी	1.410	--,--	नरदहा
16.	आरंग	शिव मत्स्य सहकारी समिति, भिलाई	2316/16-09-94	35	सामान्य	मंझवा तालाब	5.058	19-06-05 से 30-06-10 तक	भिलाई
17.	आरंग	जय चंडी मछुआ सहकारी समिति, खुशरंगी	2468/22-09-02	25	सामान्य	गुमा जलाशय	45.850	01-07-08 से 30-06-13 तक	गुमा
18.	आरंग	प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति, गोईदा	2500/20-10-03	27	सामान्य	गांव तालाब	0.500	01-07-08 से 30-06-13 तक	गोईदा
19.	आरंग	जय बजरंग मत्स्योद्योग सहकारी समिति, कुरुद	2430/06-07-99	30	सामान्य	कुरुद जलाशय	124.000	01-07-08 से 30-06-12 तक	कुरुद

कुल योग

-

-

-

-

529.5

-

-

प्रपत्र "स"

1. मछुआ सहकारी समितियां (उधार/सहायकी) नियम-1972 के अनुसार -

(अ) अनुदान स्वीकृत करने की सीमा

1. अ. 1	नीका तथा नीका तैयार करने की सामग्री की खरीद के लिये.	उपकरण की लागत का 25 प्रतिशत
1. अ. 2	नायलोन	33, 1/3 प्रतिशत या 15.00 रु. प्रति कि. ग्रा. जो भी कम हो
1. अ. 3	सूती डंरी	33, 1/3 प्रतिशत या 3.00 रु. प्रति कि. ग्रा. जो भी कम हो
1. अ. 4	सन की रस्सी	33, 1/3 प्रतिशत या 5.00 रु. प्रति कि. ग्रा. जो भी कम हो

(ब) अन्य आवश्यकताओं के लिए

1. ब. 1	मत्स्य बीज की खरीद और संचयन के लिये	केवल मत्स्य बीज की खरीद के मूल्य का 50 प्रतिशत
1. ब. 2	पट्टे की रकम की देनगी करने तथा ताल और तालाब की मरम्मत के लिये.	मरम्मत की लागत का 50 प्रतिशत
1. ब. 3	व्यवस्था पर व्यय	व्यवस्था के व्यय पर 50 प्रतिशत

2. अनुसूचित जनजाति/जाति की समितियों के लिये विभागीय योजना अंतर्गत तीन वार्षिक विभिन्न मद अंतर्गत रुपये 25000/- का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है.

क्र.	कार्य	अनुदान वर्ष			सीमा (रु.)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1.	हिस्सा पूंजी	100%	100%	100%	2000/-
2.	तालाब पट्टा राशि	100%	50%	25%	5500/-
3.	मत्स्य बीज क्रय	100%	50%	25%	5000/-
4.	नायलोन धागा डोगा	100%	100%	100%	12500/-

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत एक मछुआ सहकारी समिति को रु. 0.40 लाख की नाव तथा 0.60 लाख के जाल कुल रु. 1.00 लाख की सामग्री अनुदान स्वरूप दिये जाने का प्रावधान है.

परिशिष्ट "तीन"

[तारंगित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 111) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रदूषणकारी उद्योगों के नाम एवं पता सहित सूची :-

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता
1.	मे. जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (पूर्व नाम मे. एच. ई. जी. लि.) औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
2.	मे. टापरवर्क स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
3.	मे. रायबु: पावर एंड स्टील लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
4.	मे. बृहस्पति आयर्न एंड स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
5.	मे. गौरी इम्याल प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
6.	मे. शशि स्टील फोर्जिंग, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
7.	मे. कात्यानी स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
8.	मे. श्रीराम एस्पूटेक प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
9.	मे. पॉलीवाण्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
10.	मे. जयश्री साल्वेक्स (इण्ड) प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.
11.	मे. कुणाल पाईप्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग.

परिशिष्ट "धार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 159) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में राजनांदगांव जिले के खुन्जी विधान सभा क्षेत्र के जिन ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं एवं जिन ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित है, उन ग्रामों की सूची

(अ)	ग्राम का नाम जहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं	(1)	(2)
(1)	(2)		
		38.	आमगांव (सु.)
क्र.		39.	धूपसाल
1.	बरार मुण्डी	40.	कलडबरी
2.	जोगतराई	41.	मालडोंगरी
3.	पांगरी	42.	बाबली
4.	जादटोला	43.	गोटाटोला
5.	धुसपाल	44.	टिपानगढ़
6.	शिकारी महका	45.	बिटाल
7.	जोधरा	46.	फाडी खेरी
8.	सिंगाधेड़ी	47.	दामा बंजारी
9.	धरमूटोला	48.	केसाल
10.	बम्हनी चारभाटा	49.	सान्हे मनहोरा
11.	चिजेपार	50.	आलीबारा
12.	धनगांव	51.	हाले कोसा
13.	बेलरगोदी	52.	रामपुर
14.	धनगांव	53.	सुरिया
15.	मोतीपुर	54.	हिपवा भंवर
16.	हेदल कोहो	55.	धनगांव
17.	पांगरी खुर्द	56.	दाऊटोला
18.	कांपा	57.	बरारमुण्डी
19.	खुसीपार	58.	कल्पू बंजारी
20.	भटगुना	59.	कोलिहा लामती
21.	बड़हम	60.	फाफामार
22.	बड़गांव चारभाटा	61.	आटरा
23.	गैदाटोला		
24.	लालटोला	(ब)	ग्राम का नाम जहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित है
25.	मानेखेड़ा		
26.	चारभाटा		
27.	मेठीटोला	क्र.	
28.	भरीटोला	1.	धरमूटोला
29.	आमाटोला	2.	खोबा
30.	खुसीपार	3.	बापूटोला
31.	जंगलपुर	4.	नागर कोहरा
32.	बुचाटोला	5.	मेठीटोला
33.	भिरचारी कला	6.	सुरिया डोंगरी
34.	कुमर्दा	7.	रतनभाट
35.	सागर	8.	भटगुना
36.	कुहीखुर्द		
37.	कु. नांदिवा		

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 205) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निजी एवं अन्य विद्युत उत्पादकों से खरीदी गई बिजली की माहवार जानकारी

(मिलियन यूनिट में)

वर्ष (1)	विवरण (2)	जनवरी (3)	फरवरी (4)	मार्च (5)	अप्रैल (6)	मई (7)	जून (8)	जुलाई (9)	अगस्त (10)	सितंबर (11)	अक्टूबर (12)	नवंबर (13)	दिसम्बर (14)	योग (15)
वर्ष-2007	निजी उत्पादक	132.43	114.49	129.37	176.67	156.36	144.57	135.33	118.41	146.97	203.50	259.88	249.02	1967.03
	अन्य उत्पादक	244.19	219.90	285.24	287.52	330.63	288.17	303.08	530.79	366.49	324.01	260.85	271.67	3712.54
	कुल	376.62	334.39	414.61	464.19	486.99	432.74	438.41	649.23	513.46	527.51	520.73	520.69	5679.57
वर्ष-2008	निजी उत्पादक	373.42	332.46	390.22	348.53	377.44	362.68	306.08	363.26	349.38	381.03	358.30	402.44	4345.24
	अन्य उत्पादक	268.73	248.14	270.52	239.03	268.34	229.45	309.63	331.75	328.55	356.52	357.38	435.65	3643.69
	कुल	642.15	580.60	660.74	587.56	645.78	592.13	615.71	695.01	677.93	737.55	715.68	838.09	7988.93
वर्ष-2009 (30-06-09 तक)	निजी उत्पादक	411.45	380.66	432.06	381.76	355.64	293.06	-	-	-	-	-	-	2254.63
	अन्य उत्पादक	459.08	416.89	481.39	430.16	433.26	384.42	-	-	-	-	-	-	2605.20
	कुल	870.53	797.55	913.45	811.92	788.90	677.48	-	-	-	-	-	-	4859.83

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ओपन एक्सेस के तहत दी गई बिजली बेचने की अनुमति की माहवार एवं इकाईवार जानकारी

वर्ष 2007

(जनवरी-2007 से दिसम्बर-2007 तक)

ओपन एक्सेस के तहत दी गई बिजली बेचने की अनुमति (मेगावाट में)													
क्रमांक	इकाई का नाम	जनवरी-07	फरवरी-07	मार्च-07	अप्रैल-07	मई-07	जून-07	जुलाई-07	अगस्त-07	सितंबर-07	अक्टूबर-07	नवंबर-07	दिसम्बर-07
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

--निरंक--

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ओपन एक्सेस के तहत दी गई बिजली बेचने की अनुमति की माहवार एवं इकाईवार जानकारी

वर्ष 2008

(जनवरी-2008 से दिसम्बर-2008 तक)

क्रमांक (1)	इकाई का नाम (2)	ओपन एक्सेस के तहत दी गई बिजली बेचने की अनुमति (मेगावाट में)											
		जनवरी-08 (3)	फरवरी-08 (4)	मार्च-08 (5)	अप्रैल-08 (6)	मई-08 (7)	जून-08 (8)	जुलाई-08 (9)	अगस्त-08 (10)	सितंबर-08 (11)	अक्टूबर-08 (12)	नवंबर-08 (13)	दिसम्बर-08 (14)
1.	मेसर्स रिचल इस्पात	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12
2.	„ जगदम्बा पाँवर	-	-	-	-	-	-	22	23	23	24	24	24
3.	„ मोनेट इस्पात	-	-	-	-	-	-	60	70	70	70	70	70
4.	„ छत्तीसगढ़ स्टील	-	-	-	-	-	-	-	15	30	30	30	30
5.	„ वन्दना ग्लोबल	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	20	20
6.	„ गोदावरी पाँवर	-	-	-	-	-	-	-	-	15	23	30	43
7.	„ भारत एल्युमिनियम कं.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28	28
8.	„ बजरंग पाँवर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15
9.	„ आर. आर. एनर्जी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.5
10.	„ एस. के. एस. इस्पात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
11.	„ सारडा एनर्जी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	योग	-	-	-	-	-	-	94.0	120.0	194.0	218.0	242.5	300.5

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ओपन एक्सेस के तहत दी गई बिजली बेचने की अनुमति की माहवार एवं इकाईवार जानकारी

वर्ष 2009

(जनवरी-2009 से जून-2009 तक)

ओपन एक्सेस के तहत दी गई बिजली बेचने की अनुमति (मेगावाट में)							
क्रमांक (1)	इकाई का नाम (2)	जनवरी-09 (3)	फरवरी-09 (4)	मार्च-09 (5)	अप्रैल-09 (6)	मई-09 (7)	जून-09 (8)
1.	मेसर्स रियल इस्पात	12	12	12	12	12	12
2.	,, जगदम्बा पॉवर	24	24	24	24	24	24
3.	,, मोनेट इस्पात	70	70	70	80	80	80
4.	,, छत्तीसगढ़ स्टील	30	30	30	30	30	30
5.	,, वन्दना ग्लोबल	20	20	20	35	35	35
6.	,, गोदावरी पॉवर	43	43	43	43	43	43
7.	,, भारत एल्युमिनियम कं.	28	28	75	75	150	225
8.	,, बजरंग पॉवर	15	15	15	15	18	18
9.	,, आर. आर. एनर्जी	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
10.	,, एस. के. एस. इस्पात	15	15	30	30	30	30
11.	,, सारडा एनर्जी	30	30	30	30	30	30
12.	,, कापॉरिट इस्पात	-	-	15	15	23	23
13.	,, श्री नाकोडा	-	-	16	16	16	16
14.	,, इण्डसिल एनर्जी	-	-	10	10	10	10
15.	,, महिन्द्रा स्पंज	-	-	6	6	7.2	7.2
16.	,, रश्मि स्पंज	-	-	-	6	7.2	7.2
17.	,, वासवानी इण्डस्ट्रीज	-	-	-	6.5	6.5	6.5
18.	,, मोनट इस्पात रायपुर	-	-	-	-	35	35
19.	,, हीरा फेरो एलायज	-	-	-	-	19	19
20.	,, हीरा पॉवर एण्ड इण्डस्ट्रीज	-	-	-	-	-	19
21.	,, आलोक फेरो एलायज	-	-	-	-	-	7.2
	योग	300.5	300.5	409.5	447.0	589.4	690.6

परिशिष्ट "छह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 2) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रदेश में स्थापित सीमेंट संयंत्रों को स्वीकृत चूनापत्थर खनिपट्टा का विवरण

क्र.	सीमेंट संयंत्र का नाम, जिन्हें खनिज चूनापत्थर का खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है	स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र का विवरण				सीमेंट संयंत्रों द्वारा क्लींकर विक्रय/स्थानांतरण का विवरण			
		जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्र (हेक्टर में)	प्रदेश के अंदर		प्रदेश के बाहर	
						क्लींकर विक्रय	क्लींकर स्थानांतरण	क्लींकर विक्रय	क्लींकर स्थानांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	मेसर्स सेन्धुरी टेक्सटाइल्स इण्डिया लिमिटेड, बैकुण्ठ, तहसील-तिल्दा, जिला रायपुर.	रायपुर	तिल्दा	बहेसर टण्डवा	205.653 31.350	हां	नहीं	नहीं	नहीं
					237.003				
		रायपुर	तिल्दा	बहेसर तुलसी	31.256 43.587				
					74.843				
2.	मेसर्स अम्बूजा सीमेंट इस्टर्न लिमिटेड, रवान, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-रायपुर.	रायपुर	बलौदाबाजार	रवान पौसरी भरसेली फुकुरडीह	112.837 104.953 75.988 127.175	नहीं	नहीं	नहीं	हां
				योग	420.953				
		रायपुर	बलौदाबाजार	मल्दी मोपर देवरानी करमण्डी बोइरडीह	127.927 270.381 62.594 53.236 39.518				
				योग	553.656				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी, तहसील-सिमगा, जिला रायपुर.	रायपुर	सिमगा	परसवानी सकलोर हिरमी बरडीह फुंडरडीह योग	330.102 132.546 397.311 129.712 7.684 997.355	नहीं	नहीं	नहीं	हां
4.	मेसर्स ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पोस्ट ग्रासीम विहार रवान, जिला रायपुर.	रायपुर	सिमगा	रवान झीपन पेन्डी कसीडीह फुंडरडीह योग	239.114 183.140 189.906 72.229 38.445 722.834	नहीं	हां	नहीं	हां
5.	मेसर्स लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड, सोनाडीह, तहसील बलीदाबाजार, जिला रायपुर.	रायपुर	बलीदाबाजार	सोनाडीह खपरी रसेड़ा रसेड़ी योग	264.400 52.570 85.995 41.798 444.763	नहीं	नहीं	नहीं	हां
6.	मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोपालनगर.	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	आरसमेंटा गोंदाडीह अमोरा धोघरोबोड किरारी चोरभट्टी आरसमेंटा कुल रकबा	503.817 167.084 46.292 717.193	हां	नहीं	नहीं	हां

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	मेसर्स एसीसी लिमिटेड, जामुल	दुर्ग	दुर्ग	जामुल डौर कुरुद	269.952	हां	नहीं	नहीं	नहीं
				पथरिया	36.01				
				पथरिया	37.82				
				नंदनी खुंदनी	33.570				
				कुल रकबा	397.407				

परिशिष्ट "सात"

[तारंकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 266) के भाग (ख) की जानकारी]



AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED
Regional Office : "JEEVAN PRAKASH", Jeevan Beema, Marg (2nd floor)
Pandri, Raipur - 492 004
0771-2583112 (Tele-fax), 2583158

प्रति,
श्री प्रदीप कुमार दवे
उपसचिव, कृषि विभाग

14-07-2009

महाशय,

विषय :- तारंकित विधान सभा प्रश्न क्रमांक 266 द्वारा श्री ताम्रध्वज साहू, एम. एल. ए.

(क) खरीफ 2008 मौसम में दुर्ग जिले में फसल बीमा के लिए 11 तहसील अधिसूचित हुआ था. ब्लॉक अधिसूचित नहीं हुआ था. दुर्ग जिले में धान सिंचित फसल के लिए 49087 अग्रणी किसान लाभान्वित हुए हैं. धान सिंचित फसल के लिए 840 अग्रणी किसान लाभान्वित हुए हैं. धान असिंचित फसल के लिए 4150 अग्रणी किसान लाभान्वित हुए हैं. दुर्ग जिले में कुल 101620 किसान लाभान्वित हुए हैं.

(ख) खरीफ 2008 मौसम में फसल बीमा के लिए ब्लॉक अधिसूचित नहीं हुआ था. केवल तहसील अधिसूचित हुए थे. आपके जानकारी के लिए नीचे हमने तहसीलवार आंकड़े प्रदान करते हैं.

क्रमांक	लाभान्वित तहसील	कुल लाभान्वित किसान	दिष्ट गए दावा की राशि रुपये में
1.	बेमेतरा	16132	65397731
2.	साजा	19729	53991137
3.	डोन्डीलोहारा	7056	5916974
4.	धमधा	13044	31131373
5.	गुण्डरदेही	18021	30890557
6.	बेरला	10195	36028574
7.	पाटन	17443	63705488
कुल		101620	287061834

रबी 2008-09 मौसम के लिए उपज दर के लिए आंकड़े मिलने की अंतिम तिथि 31-07-2009 है. उपज दर के आंकड़े मिलने के बाद दावा की गणना की जाएगी.

सधन्यवाद.

हस्ता./-
(चौधरी बी. एन. प्रहराज)
क्षेत्रीय प्रबंधक

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 44) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक (1)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री रामलाल जग्ने	वन परिक्षेत्राधिकारी केरेगांव, वन विभाग, जिला भमतरी
2.	श्री अब्दुल वाहीद ताजर	तत्कालीन उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ. ग.)

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क. 250) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में नलजल योजना के अन्तर्गत पूर्ण की गई उच्चस्तरीय टंकी निर्माण की विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	ग्राम का नाम (3)
1.	जैजैपुर	तुषार
2.	जैजैपुर	हसौद
3.	जैजैपुर	दतौद
4.	जैजैपुर	भोथिया
5.	जैजैपुर	ठठारी
6.	जैजैपुर	अकलसरा
7.	जैजैपुर	ओड़ेकेरा
8.	जैजैपुर	सलनी
9.	जैजैपुर	हरेटीकला
10.	बम्हनीडीह	बिरा
11.	बम्हनीडीह	लखुरी
12.	मालखरीदा	छपोरा

प्रपत्र "ब"

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित उच्चस्तरीय पानी टंकी की विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	ग्राम का नाम (3)
1.	जैजैपुर	कचंदा
2.	जैजैपुर	बेलादुला
3.	जैजैपुर	चिस्ता
4.	जैजैपुर	काशीगढ़
5.	जैजैपुर	नंदेली
6.	जैजैपुर	धिवरा
7.	जैजैपुर	किकिरदा
8.	जैजैपुर	कैथा
9.	जैजैपुर	टूंटी
10.	जैजैपुर	सिरली
11.	जैजैपुर	खम्हरिया
12.	जैजैपुर	करही
13.	जैजैपुर	चिखलरीदा
14.	जैजैपुर	खजुरानी
15.	जैजैपुर	अमोदा
16.	जैजैपुर	कोटेतरा
17.	जैजैपुर	परसाडीह
18.	जैजैपुर	ठठारी
19.	जैजैपुर	सेंदुरस
20.	जैजैपुर	रायपुरा
21.	जैजैपुर	आमगांव
22.	बम्हनीडीह	सिलादेही
23.	बम्हनीडीह	लखाली
24.	बम्हनीडीह	करनौद
25.	मालखरीदा	बहेसीफा
26.	मालखरीदा	पिहरीद
27.	मालखरीदा	भिरनी
28.	मालखरीदा	पिरदा
29.	मालखरीदा	कुरदा
30.	मालखरीदा	अमलीडीह
31.	मालखरीदा	बहेरवेली
32.	मालखरीदा	नरियरा
33.	मालखरीदा	मरभट्टी

परिशिष्ट "दस"

[सार्वजनिक प्रश्न संख्या 25 (क्र. 93) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायपुर जिले के विकासखंड भाटापारा एवं सिमगा क्षेत्र में संचालित/स्थापित क्रेशर एवं उत्खनिपट्टाधारी द्वारा संचालित/स्थापित क्रेशर की जानकारी

विकासखण्ड भाटापारा

स. क्र.	पट्टेदार का नाम, जिनके द्वारा क्रेशर संचालित/स्थापित है	खनिज चूनापत्थर के स्विकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र का विवरण				क्रेशर संचालन हेतु पर्यावरण सम्मति की जानकारी
		ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा	अवधि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री अमित अग्रवाल आ. श्री सतीश कुमार, निवासी परशराम चाट भाटापारा.	तुरमा	59/2, 3	1.20 एकड़	28-7-2004 से 27-7-2014 तक	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है
2.	श्री दिलीप जैन आ. श्री आई. के. जैन, निवासी बलीदाबाजार.	ओटेबंद	22/1	7.60 एकड़	26-4-2006 से 25-4-2016 तक	—तदैव—
3.	श्री नंदलाल जसवानी प्रो. अनिल कुमार, निवासी महासती वार्ड/भाटापारा.	चमारगुड़ा	194	1.36 एकड़	27-3-2006 से 26-3-2016 तक	—तदैव—
4.	श्री लक्ष्मण परप्यानी आ. श्री गोविन्द, निवासी भाटापारा	तुरमा	662/3, 81/1 का भाग	0.380 हेक्टर	11-8-2004 से 10-8-2014 तक	—तदैव—
5.	शेख सिराजुल आ. श्री शेख महमूद, निवासी बलीदाबाजार	तुरमा	134/1, 2, 4, 163/1, 2, 164/4, 156/3, 5, 157/3, 5	1.316 हेक्टर	25-9-2007 से 24-9-2017 तक	—तदैव—
6.	श्री देवेन्द्र आ. श्री राम ताम्रकर, निवासी सिमगा तहसील-सिमगा.	केसदा	317	3.20 एकड़	02-03-2009 से 01-03-2019 तक	—तदैव—

विकासखण्ड सिमगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	श्रीमती रूखमणी देवी पति श्री रिखीराम, निवासी भिलाई/दुर्ग.	रानीजरौद	471/2	2.10 एकड़	10-3-2000 से 09-3-2010 तक	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है.
8.	व्ही. एस. इंटरप्राइजेस प्रो. रामसहाय वर्मा आ. श्री रामनाथ, निवासी भाटापारा.	रानीजरौद	471/2	4.10 एकड़	15-2-2007 से 14-2-2017 तक	—तदैव—
9.	श्री मोहल लाल शर्मा आ. श्री रामदयाल शर्मा, निवासी- सुभास वार्ड/भाटापारा.	रानीजरौद	471/2	5.00 एकड़	20-10-2003 से 19-10-2013 तक	—तदैव—
10.	श्री पृथपाल सिंह आ. श्री कुलवंत सिंह भाटिया, निवासी- सिमगा तहसील सिमगा.	रानीजरौद	471/2	4.94 एकड़	17-2-2003 से 16-2-2013 तक	—तदैव—
11.	श्री अशोक सिंह ठाकुर आ. श्री धिरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी भाटापारा.	रानीजरौद	471/2	4.50 एकड़	10-06-2007 से 09-06-2012 तक	—तदैव—
12.	श्री अनिलकुमार जसवानी आ. श्री किशनचंद, नि. भाटापारा, तहसील-भाटापारा.	रानीजरौद	91	2.70 एकड़	03-10-2006 से 02-10-2011 तक	—तदैव—
13.	साई कृष्ण स्टोन इन्डस्ट्रीज प्रो. आनंद शुक्ला आ. श्री गणेश शंकर, नि. देवेन्द्र नगर, रायपुर.	रानीजरौद	471/1	0.405 हेक्टर	28-5-2006 से 27-5-2016 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
14.	श्री डी. पी. वर्मा आ. श्री बुधराम वर्मा, नि. ग्राम पौड़, तह. अभनपुर, जिला रायपुर.	रानीजरौद	471/2	1.10 हेक्टर	25-1-2006 से 24-1-2016 तक	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है.
15.	श्री अरूण कुमार आ. श्री आर. पी. सिंह, निवासी- 31 नवजीवन सोसायटी रायपुर.	रानीजरौद	471/2	2.30 एकड़	24-11-2005 से 23-11-2015 तक	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	श्रीमती नीलिमा सूर्यवंशी पति श्री कृष्ण कुमार, निवासी-महावीर नगर, रायपुर.	रानीजरीद	471/2	2.60 एकड़	01-7-2006 से 30-6-2016 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
17.	श्री संजय मक्कड़ आ. श्री जोगेन्द्र, नि. भाटापारा, जिला-रायपुर.	आमाकोनी	89, 90, 91, 92 एवं 93	0.83 हेक्टर	22-6-2006 से 21-6-2016 तक	—तदैव—
18.	श्री प्रकाश अग्रवाल आ. श्री बजरंग लाल, निवासी-शिव काम्पलेक्स कांपा रायपुर.	आमाकोनी	52 एवं 53	0.428 हेक्टर	28-1-2006 से 27-1-2016 तक	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है.
19.	श्री विवेक अग्रवाल आ. श्री विजय अग्रवाल, निवासी-तिल्दा.	आमाकोनी	36, 37, 38, 43, 48, 49 एवं 50	0.98 हेक्टर	30-8-2005 से 29-8-2015 तक	—तदैव—
20.	श्री रावल जसवानी आ. श्री नेभन दास, नि. भाटापारा, तह. भाटापारा.	धोबनीडीह	171 एवं 175	1.430 हेक्टर	27-3-2006 से 26-3-2016 तक	—तदैव—
21.	श्री रिपुमुदन वर्मा आ. श्री रिखीराम वर्मा, निवासी-सुहेला	रानीजरीद	471/2 से 7	4.10 एकड़	16-1-2007 से 15-1-2017 तक	—तदैव—
22.	मेसर्स कुसुम मिनरल्स कंपनी प्रो. भीखम चन्द्र जैन आ. श्री नेमीचंद, नि. मालवीनगर दुर्ग.	खैरवारी	391, 392 एवं 393	1.788 हेक्टर	01-12-2007 से 31-12-2017 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
23.	श्री रजनीकांत सिंह आ. श्री संत सेवक सिंह, नि. पिकाडली होटल के पीछे रायपुर.	शिकारी केसली	518 एवं 520	0.353 हेक्टर	14-8-2007 से 13-8-2017 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
24.	श्री नरेश कुमार नवलानी, टैगोर नगरपार्ट, नारायण दास छटवानी, लक्ष्मण दास खेमानी, निवासी-ए-3, राजीव नगर, रायपुर.	आमाकोनी	27, 28, 31, 54, 55, 57 एवं 59	1.348 हेक्टर	23-8-2007 से 22-8-2017 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	श्री संजय मक्कड़ आ. श्री जोगेन्द्र लाल, निवासी-भाटापारा	रानीजरौद	72/1 एवं 73/1	0.800 हेक्टर	05-3-2008 से 04-3-2018 तक	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है.
26.	श्री बुधेलाल वर्मा श्री धिंताराम वर्मा, निवासी-बिटकुली, तह. सिमगा.	बुड़गहन	172/2	0.607 हेक्टर	25-2-2008 से 24-2-2013 तक	—तदैव—
27.	श्री शिवम् स्टोन क्रेशर प्रो. श्री राजा टुटेजा आ. श्री सरदार सोहन सिंह, नि. भाटापारा.	रानीजरौद	34/2 एवं 35	0.348 हेक्टर	07-11-2007 से 06-11-2017 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
28.	श्री दिलीप जैन आ. श्री आई. के. जैन, साकिन बलौदाबाजार	रानीजरौद	471/2	3.36 एकड़	06-5-2004 से 05-5-2014 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
29.	श्रीमती कुंती बाई वर्मा पति श्री रामशंकर, नि. आमाकोनी, तह. सिमगा, जिला-रायपुर.	आमाकोनी	208	3.00 एकड़	26-4-2008 से 25-4-2018 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
30.	भगवती मिनरल्स प्रो. हेमंतमल आ. श्री बसंत मल, नि. भाटापारा.	रानीजरौद	88/1, 4	0.428 हेक्टर	23-08-2008 से 22-08-2013 तक	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त पर्यावरण विभाग में प्रक्रियाधीन है.
31.	श्री नंदकिशोर अग्रवाल आ. श्री किशन अग्रवाल, नि. तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर.	रानीजरौद	80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4	0.631 हेक्टर	15-01-2009 से 14-01-2019 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
32.	हरजस मिनरल्स प्रो. श्रीमती सिमरन कौर पति श्री जगनीत सिंह, नि. सुहेला भाटापारा, जिला रायपुर.	रानीजरौद	17, 29/1 एवं 471/2	1.172 हेक्टर	15-01-2009 से 14-01-2015 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
33.	श्री नितिन भुसानिया आ. श्री भागवत भुसानिया, निवासी- भाटापारा, जिला-रायपुर.	आमाकोनी	97	0.538 हेक्टर	29-01-2009 से 28-01-2014 तक	पर्यावरण सम्मति प्राप्त

प्रपत्र "ब"

08 क्रेशर जिनको लीज स्वीकृत नहीं है की जानकारी

विकासखण्ड भाटापारा

स. क्र.	क्रशर संचालक/मालिक का नाम जिनके द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रशर संचालित/स्थापित है	ग्राम का नाम	क्रशर संचालन हेतु पर्यावरण सम्मति की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री रावलदास जसवानी, नि. तुरमा, तहसील भाटापारा, जिला रायपुर	तुरमा	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त, पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है
2.	श्री देवेन्द्रकुमार सचदेव, नि. तुरमा, तहसील भाटापारा, जिला रायपुर	तुरमा	—तदैव—
3.	श्री दिलीप जैन, निवासी बलीदाबाजार, जिला रायपुर	तुरमा	—तदैव—
विकासखण्ड सिमगा			
4.	जय दुर्गा स्टोन क्रशर प्रो. श्री दीपचंद वर्मा आ. श्री गणेश राम, निवासी रानीजरौद, तहसील सिमगा, जिला-रायपुर.	रानीजरौद	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
5.	हरिओम क्रेशर एंड माइन्स प्रो. ओमनाथ साहू आ. श्री गोविन्द सिंह साहू, निवासी सुहेला, तहसील सिमगा, जिला रायपुर.	सुहेला	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
6.	एस. ए. मिनरल्स एंड ट्रान्सपोर्ट कंपनी प्रो. तयुब मेमन पिता अब्दुल गफ्फार खान, निवासी शिकारीकेशली, तहसील-सिमगा.	शिकारीकेशली	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त, पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है
7.	वेसर्स शिवाजी मिनरल्स प्रो. अंजू भृगू पति श्री बसंत भृगू, निवासी शिकारीकेशली, तहसील-सिमगा, जिला रायपुर	शिकारीकेशली	पर्यावरण सम्मति प्राप्त
8.	स्वास्तिक मिनरल्स प्रो. जगदीश सिंघानिया आ. श्री शंकर लाल, निवासी नेवरा, तहसील-तिल्दा, जिला रायपुर.	रानीजरौद	पर्यावरण सम्मति प्राप्त